श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक–08.09.2014 को 12.00 बजे मध्याह्न भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र, रक्सौल एवं मोतिहारी शहर में जाम की समस्या से निपटने, सौन्दर्यीकरण एवं विधि–व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु कार्यालय कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही।

अनुपस्थिति

पंजी के अनुसार।

रक्सौल एवं मोतिहारी शहर में सड़क जाम की समस्या के समाधान, अतिक्रमण हटाने, सौंदर्यीकरण, आदि की दिशा में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

A. भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र, रक्सौल

क्र0	विषय	अनुपालन/निदेश
1.0	नेपाल जाने वाली सड़क से रक्सौल में ट्राफिक जाम की व्यवस्था में सुधार।	1.1 भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र में ***ट्राफिक जाम*** के बिन्दु पर भारत का महावाणिज्य दूत, भारतीय दूतावास, नेपाल एवं मुख्य जिला पदाधिकारी, पर्सा से इस कार्यालय से **पत्रांक–315/गो0, दिनांक–17.07.2014** द्वारा नेपाल सीमा क्षेत्रान्तर्गत नेपाली भंसार पर भारतीय सीमा क्षेत्र से जाने वाले वाहनों पर लदे सामानों के मूल्यांकन हेतु वाहनों को सड़क मार्ग पर खड़ा न कर यार्ड में ले जाकर मूल्यांकन की सरल व्यवस्था करते हुए कम समय में वाहनों को छोड़ने का अनुरोध किया गया है। 1.2 रक्सौल स्थित रेलवे गुमटी बंद रहने के बिन्दु पर समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्थिति पूर्ववत बनी हुई है। रेलवे यातायात निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि **आवश्यकतानुसार कम समय तक ही गुमटी बंद रहे। जिला गोपनीय शाखा इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, रक्सौल से अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की मांग करें।** **(अनुपालन–जिला गोपनीय शाखा/रेलवे यातायात निरीक्षक, रक्सौल)** **1.3** बाटा चौक एवं कौड़िहार चौक पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी को ***वॉकी–टॉकी*** उपलब्ध करा दिया गया है, परन्तु गृहरक्षकों का Replacement नहीं किया गया है। **जिला समादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी अविलम्ब गृहरक्षकों का** Replacement **करना सुनिश्चित करेंगे।** (अनुपालन–समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, मोतिहारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल/थानाध्यक्ष, रक्सौल)

		1.4 रक्सौल शहर से बाहर बी0एस0एन0एल0 रोड के अन्तिम छोर पर ***अस्थायी रोड का निर्माण*** कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। अगली बैठक के पूर्व कार्य प्रारंभ करने का निदेश तांतिया कन्ट्रक्सन कम्पनी के प्रतिनिधि को दिया गया। (अनुपालन–तांतिया कन्ट्रक्सन कम्पनी के प्रतिनिधि) 1.5 जाम की समस्या पर नियंत्रण करने एवं आवागमन सुलभ बनाने के दृष्टिकोण से चयनित वैकल्पिक मार्ग मोतिहारी–छौड़ादानो–नहर रोड–श्यामपुर बाजार–रक्सौल तक पथ में ***श्यामपुर बाजार से रक्सौल तक जर्जर पथ का जीर्णोद्धार कार्य*** कार्यपालक अभियन्ता, घोड़ासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल अविलम्ब कराना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन– कार्य0 अभि0,घोड़ासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल) 1.7 निर्माण एजेन्सी मे0 तांतिया कन्ट्रक्सन कम्पनी के प्रतिनिधि को पुनः निदेशित किया गया कि **एन0एच0–28ए पर रामगढ़वा थाना के पास पथ के किनारे अविलम्ब अस्थायी नाला कटवाकर या ह्यूम पाईप द्वारा पानी निकासी की संभावना की तलाश करें एवं जल निकासी कर Pot Patching का कार्य कराना सुनिश्चित करें।** (अनुपालन–तांतिया कन्ट्रक्शन कम्पनी के प्रतिनिधि/ कार्यपालक अभियंता, एन.एच.ए. आई, मोतिहारी)
2.0	एन0एच0 28ए के नाला की सफाई	2.1 एन0एच0 28ए के नाला के आगे कलमर्ट का जीर्णोद्धार कार्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल को पुनः निदेशित किया गया कि **एन0एच0 28ए के नाला के आगे के कलमर्ट का जीर्णोद्धार अगली बैठक के पूर्व अचूक रूप से कराना सुनिश्चित करें।** (अनु0–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल)
3.0	सघन अतिक्रमण अभियान	3.1 पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान निरंतर चालू रखा जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि **जिस स्थल से अतिक्रमण हटाया गया है, वहाँ पुनः अतिक्रमण नही हो।** (अनुपालन–अनु0पदा0/अनु0पु0पदा0/कार्य0पदा0, नगर परिषद/थानाध्यक्ष, रक्सौल)

4.0	रक्सौल बॉर्डर पर भू–अर्जन से संबंधित मामले का निष्पादन।	**4.1** ***पथ को मोटरेबुल बनाने*** के बिन्दु पर पृच्छा के कम में मे0 तांतिया कन्ट्रक्शन कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वाईपास आई0सी0पी0 रोड में प्रारंम्भिक कार्य शुरू हो चुका है। **अर्जित की गई भूमि पर अविलम्ब पूर्णरूपेण: कार्य करने का निदेश NHAI एवं तांतिया कंसट्रक्शन कम्पनी के प्रतिनिधि को दिया गया।** **(अनुपालन–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/एन.एच.ए.आई. /तांतिया कंसट्रक्शन के प्रतिनिधि)**

B. मोतिहारी शहरी क्षेत्र

क्र0	विषय	अनुपालन/निदेश
1.0	ट्राफिक जाम की व्यवस्था में सुधार।	1.1 ***अगरवा मस्जिद के सामने जिला स्कूल के दूसरे गेट के आसपास*** *के* गढ्ढे के संदर्भ में TRG के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त गढ्ढे में बालू भर कर दुर्गा पूजा के पूर्व मोटेरेबुल बना दिया जाएगा। IRCON एवं TRG के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि **कार्य में तेजी लाएँ।** **(अनुपालन– IRCON एवं TRG के प्रतिनिधि)** 1.2 जिला स्कूल के आस–पास ***पार्किंग स्थल*** चिन्हित करने के बिन्दु पर निदेशित किया गया कि **अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, IRCON एवं TRG के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पार्किंग स्थल चिन्हित किया जाय।** **(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, कार्य0 पदा0, नगर परिषद, IRCON एवं TRG के प्रतिनिधि)** **1.3 एन0एच0 28ए पर बालू का ट्रक रोड पर खड़ा कर बालू का व्यापार करने के बिन्दु पर जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि नो पार्किंग का बोर्ड लगाएँ तथा नियमित जाँच करें और यदि बालू लदा ट्रक एन0एच0 28ए पर खड़ा पाया जाय तो मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाय। अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) इसका अनुश्रवण करेंगे।** (अनुपालन– जिला परिवहन पदाधिकारी)

क्र0	विषय	अनुपालन/निदेश
		1.4 पायल सिनेमा के पास रोड पर अगली बैठक के पूर्व डिवाईडर बनाने का निदेश तांतिया कन्स्ट्रक्सन कम्पनी को दिया गया। (अनुपालन– तांतिया कन्स्ट्रक्सन कम्पनी)
2.0	अतिक्रमण हटाओ अभियान	2.1 *शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान* निरंतर जारी रखें। 2.2 शहर से अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान का अनुश्रवण करने हेतु निम्न प्रकार एक टीम का गठन किया जाता है, जो प्रतिदिन सुबह शहर का भ्रमण करेगी :– (i) सहायक समाहर्त्ता–सह–सहायक दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी । (ii) अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी। (iii) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, मोतिहारी। (iv) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी। (iv) थानाध्यक्ष, नगर/मुफसिल। उपर्युक्त प्रयोजनार्थ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर–सह–पुलिस नोडल पदाधिकारी को प्रतिदिन सुबह 20 लाठी पार्टी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी के आवास पर भेजने का निदेश दिया गया । 2.3 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् यह सुनिश्चित करें कि बलुआ चौक पर कोई ठेला नहीं लगे। यदि कोई ठेला लगाया जाता है तो सामान जप्त करें। ठेला लगाने के लिए अन्यत्र स्थल का चयन कर बलुआ चौक से सभी ठेला को वहाँ शिफ्ट कराएँ। (अनुपालन–अनु0पदा0/अनु0 पुलिस पदा0–सह–पुलिस नोडल पदा0/कार्य0पदा0, नगर परिषद/थानाध्यक्ष, नगर/ छतौनी)
3.0	टेम्पो का पड़ाव स्थल निर्धारित कर बोर्ड लगाने की व्यवस्था।	3.1 मोतीझील के पास भी टेम्पो स्टैंप के लिए स्थल चिन्हित कर बैरिकेडिंग कराने के बिन्दु पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी को निदेशित किया गया कि शीघ्र निविदा प्रकाशित कराएँ। 3.2 मोतिहारी रेलवे स्टेशन के पास टेम्पो एवं रिक्शा पार्किंग के लिए स्थल का चयन करें। 3.3 मीना बाजार रिक्शा पड़ाव में प्रति माह कम–से–कम एक बार चिकित्सा शिविर लगाया जाय। सिविल सर्जन द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा ।

क्र0	विषय	अनुपालन/निदेश
		3.4 सिविल सर्जन, चिकित्सकों से वार्त्ता कर सदर अस्पताल के पास ***Public Parking*** के पहले एवं बाद में दो स्थानों पर ***Tempo Stand*** के लिए स्थल का चयन करने के बिन्दु पर स्थल चयनोपरान्त प्राक्कलन तैयार कराने का निदेश दिया गया । (अनु0–सिविल सर्जन/जिला परिवहन पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद) 3.5. कचहरी रेलवे गुमटी के आसपास *टेम्पो स्टैण्ड* तथा कचहरी चौक के पास *रिक्सा स्टैण्ड* का स्थल चयन कर जमीन समतल कराने तथा बोर्ड लगाने का निदेश दिया गया। 3.6 *Tempo Stand* एवं *Stop* के लिए Tempo का रूट, यात्री दर एवं Tempo के आकार के हिसाब से यात्रियों के बैठने के लिए सीट का निर्धारण संलग्न सूची के अनुसार कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी समय–समय पर औचक जाँच करेगें और टेम्पो पर क्षमता से अधिक यात्रियों के बैठाने, निर्धारित दर से अधिक किराया की वसूली करने तथा बिना चालक अनुज्ञप्ति के चालक द्वारा टेम्पो का परिचालन करने पर दण्डात्मक कार्रवाई करें। 3.7 **Tempo** का रूट, यात्री दर एवं **Tempo** के आकार के हिसाब से यात्रियों के बैठने के लिए सीट का निर्धारण से संबंधित शहर के मुख्य–मुख्य चौक–चौराहों पर *फ्लैक्सी बोर्ड* लगाना सुनिश्चित करें। (अनुपालन–जिला परिवहन पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद)
4.0	गांधी चौक, मीना बाजार में गांधी जी के मूर्ति के उपर हाई मास्क लाईट एवं साफ–सफाई की व्यवस्था।	4.1 **Flood light** ठीक कराकर नजदीकी बिजली के पोल से जोड़ा जाय। 4.2 फौव्वारा (**Fountain**) का निर्माण कराया जाय। (अनु0–श्री देव प्रिय मुखर्जी, रोटरी क्लब, मोतिहारी)
5.0	शहर का सौन्दर्यीकरण	5.1 कचहरी चौक, बलुआ चौक, मीना बाजार चौक एवं छतौनी चौक के अतिरिक्त निम्नांकित स्थलों पर उनके नाम के सामने अंकित संस्थाओं द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने का निर्णय लिया गया :–

क्र0	विषय	अनुपालन/निदेश
		(i) जानपुल चौक – चेम्बर ऑफ कॉमर्स । (ii) ज्ञान बाबू चौक – लायन्स क्लब। (iii) चाँदमारी चौक – बलुआ व्यवसायिक संघ । (iv) हेनरी बाजार – हेनरी बाजार व्यवसायिक संघ। (मामा शाह चौक) (v) सरदार बल्लभ भाई पटेल मूर्त्ति चौक – लायन्स क्लब। फौव्वारा (Fountain) के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गई है। कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएँ। (अनुपालन–कार्य0पदा0, नगर परिषद/लायन्स क्लब/चेम्बर ऑफ कामर्स/बलुआ/ हेनरी बाजार व्यवसायी संघ)
6.0	वृक्षारोपण	6.1 विगत दिनों सरकार द्वारा स्वीकृत योजना अन्तर्गत जो भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, उसका भौतिक निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। (अनुपालन– अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच)/वन प्रमण्डल पदाधिकारी।
7.0	साफ–सफाई	7.1 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे शहर के विभिन्न वार्डों, पथों तथा चौक–चौराहों का भ्रमण कर प्रतिनियुक्त सफाई कर्मियों की उपस्थिति एवं सफाई कार्य की जाँच करें। 7.2 शहर के प्रत्येक वार्डों एवं चौक–चौराहों को चिन्हित कर कूड़ेदान लगाना सुनिश्चित करें । 7.3 नालों की सफाई के कम में निकाले गए कचरे का उठाव करने के विन्दु पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा बताया गया कि कचरे का उठाव किया जा रहा है। 7.4 शहर से दो–तीन कि.मी. की दूरी पर बस्ती से दूर ***Dumping yard*** हेतु स्थल का चयन कर वार्डों/चौक–चौराहों से उठाए गए कचरों का निष्पादन Dumping yard में करने का पुनः निदेश दिया गया। (अनुपालन–कार्य0पदा0, नगर परिषद)
8.0	पीपराकोठी से रक्सौल एन0एच0 28ए को मोटरेबुल बनाने की व्यवस्था।	8.1 मे0 तांतिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रगति के संबंध में निम्न जानकारी दी गई :–

पथ की ल0 (कि.मी. में)	सबग्रेड (कि.मी. में)	जी.एस.बी. (कि.मी. में)	डब्ल्यु.एम.एम. (कि.मी. में)
68	29.07	26.65	22.05

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>विषय</th><th>अनुपालन/निदेश</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>पी.क्यू.सी.</th><th>डी.एल.सी.</th><th>बी.सी
(कि.मी.में)</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>282 मीटर</td><td>362 मीटर</td><td>—</td><td></td></tr>
</table>
2.0 विगत बैठक में रिटेनिंग वाल एवं पथ को मोटरेबुल बनाने बनाने के साथ–साथ रिटेनिंग वाल के पास पर्याप्त जगह रखने का निदेश तांतिया कंस्ट्रक्सन कम्पनी को दिया गया था। पृच्छा करने पर उनके द्वारा मिट्टी अनुपलब्धता बतायी गई। बैठक में उपस्थिति माननीय स0वि0स0, श्री प्रमोद कुमार द्वारा पर्याप्त मिट्टी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया।
मे0 तांतिया कन्ट्रक्शन कम्पनी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि वे माननीय स0वि0स0 से अविलम्ब सम्पर्क कर मिट्टी प्राप्त कर अगली बैठक के पूर्व कार्य पूर्ण कराऐं।
<u>(अनुपालन– तांतिया कंस्ट्रक्सन कम्पनी)</u></td></tr>
<tr><td>9.0</td><td>वृद्धा आश्रम का निर्माण</td><td>9.1 भूमि का प्रस्ताव अंचलाधिकारी, मोतिहारी के स्तर पर लम्बित है। अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन प्राप्त करें। अंचल अधिकारी, मोतिहारी अगली बैठक में उपस्थित होकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे।
<u>(अनुपालन–प्रभारी पदा0, जिला राजस्व शाखा)</u></td></tr>
<tr><td>10.0</td><td>वेंडिंग जोन का निर्माण</td><td>10.1 शहर में वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु नगर भवन के सामने 3.05 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के बिन्दु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया गया।
अंचलाधिकारी, मोतिहारी को अविलम्ब अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया।
<u>(अनुपालन–कार्य0पदा0, नगर परिषद)</u></td></tr>
<tr><td>11.0</td><td>शहर के विभिन्न पथों से बिजली एवं टेलिफोन के पोल को हटाना।</td><td>11.1 <u>परिशिष्ट में संलग्न सूची</u> के अनुसार सर्वेक्षण सूची का सत्यापन नगर परिषद द्वारा कर लिया गया है।
बिजली/टेलीफोन के पोल को हटाने हेतु सत्यापित सूची जिला प्रबंधक, दूरसंचार निगम एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी को भेजें तथा दूरसंचार अवर प्रमंडल को अगली बैठक में उपस्थित हो कर अद्यतन टेलिफोन का पोल हटाने के बिन्दु पर अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने का निदेश निर्गत करें।</td></tr>
</table>

क्र0	विषय	अनुपालन/निदेश
12.0	श्रमिकों के लिए शेड का निर्माण	12.1 नोडल पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा बताया गया कि ***श्रमिकों के लिए शेड का निर्माण*** हेतु निविदा प्रकाशित करने की प्रक्रिया जारी है। **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद इस सप्ताह में निश्चित रूप से निविदा प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।** **(अनुपालन--नगर परिषद, मोतिहारी/श्रम अधीक्षक)**
13.0	शहर में Lighting की व्यवस्था	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा बताया गया कि शहर में हाई स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु निविदा प्रकाशित करायी जा रही है। 13.1 **कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण शहरी विकास अभिकरण (डूडा) शहर के चिन्हित 05 जगहों पर हाई मास्ट लाईट लगाने से संबंधित संचिका अविलम्ब उपस्थापित करें।** **अनुपालन--कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद, मोतिहारी/ कार्यपालक अभियन्ता, डूडा)**
14.0	खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध	14.1 विभागीय निदेश के आलोक में **खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने हेतु दिनांक--09.09.2014 से अभियान के तौर पर औचक छापामारी एवं कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।** 14.2 मांस व्यापार हेतु Regular zone चिन्हित करने के बिन्दु पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा बताया गया कि तीन जगहों का चयन कर लिया गया है। **इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करें।** **(अनुपालन-- अनुमंडल पदा0/अनुमंडल पुलिस पदा0/कार्य0 पदा0, नगर परिषद/ संबंधित थानाध्यक्ष)**
15.0	सब्जी मण्डियों का विकास	15.1 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा शहर के सब्जी मण्डियों को चिन्हित कर लिया गया है। **चिन्हित सब्जी मंडियों के विकास की कार्य योजना तैयार करें।** **(अनुपालन--कार्य0पदा0, नगर परिषद)**
16.0	हेनरी बाजार चौक का विकास	16.1 हेनरी बाजार चौक पर निम्नांकित बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय :- (क) शौचालय का निर्माण। (ख) सब्जी मंडी का विकास । (ग) मांस दुकानों का सुदृढ़ीकरण । (घ) विद्युत व्यवस्था। **(अनुपालन--कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/ हेनरी बाजार व्यवसायिक संघ)**

क्र0	विषय	अनुपालन/निदेश
17.0	प्रवेश शुल्क की वसूली	**17.1 नगर परिषद् द्वारा प्रवेश शुल्क की वसूली शहर के विभिन्न चौक–चौराहों पर करने के बिन्दु पर कार्यपालक** पदाधिकारी, नगर परिषद् द्वारा बताया गया कि इसकी व्यवस्था की जा रही है। **(अनुपालन–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्)**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

11/9

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 1729 /गो0, दिनांक– 12-09-2014

प्रतिलिपि	संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि	जिला प्रबंधक, आई.टी., पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को **जिले की बेवसाईट पर अपलोड करने** हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि	अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोतिहारी/रक्सौल, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि	परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई., मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि	सहायक समाहर्त्ता, कस्टम, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि	अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच)/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि	**पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**
प्रतिलिपि	**श्री राघवेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., सहायक समाहर्त्ता–सह–सहायक दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।**

11/9

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 1729 /गो0, दिनांक– 12-09-2014

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ ।

11/9

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।